(ख) (i) पी० औवारा जो इस्कागोल के लिए स्रोत है उसकी उत्तर गुजरात में पैदावार होने की सूचना मिली है ।

(ii) कुछ प्रमुख कम्पनियों द्वारा एलोपैथिक औषधों के उत्पादन की मात्रा के उपलब्ध आंकड़ों तथा उनके स्थान नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष 1976 (रुपये करोड़ों में)

क्रम संख्या	एकक का नाम	प्रपुंज औषधों का नाम	सूत्रयोग	स्थान
1.	मैसर्स [illegible]	326.45	1154.45	बड़ौदा
2.	मैसर्स सिनबियोटिक्स .	445.31	—	बड़ौदा
3.	मैसर्स एलैम्बिक . .	667.27	2652.72	बड़ौदा
4.	मैसर्स अतुल प्रॉडक्टस .	121.12	—	बलसर
5.	मैसर्स साराभाई कैमिकल्स .	808.00	2396.79	बड़ौदा
6.	मैसर्स साराभाई एम० कैमिकल्स	318.18	00.47	बड़ौदा
7.	मैसर्स अनिल स्टार्च प्रॉडक्टस	17.97	—	अहमदाबाद
8.	मैसर्स [illegible] .	253.88	1295.55	बलसर

(ग) चूंकि गुजरात में कई औषध कारखाने हैं और कामगरों के कार्य और उनको दी गई मजदूरी एक कारखाने से दूसरे कारखाने में भिन्न भिन्न है इस लिए इस सूचना को एकत्र करने में जितना समय और श्रम लगेगा उसमें इतने उपयोगी परिणाम नहीं निकलेंगे ।

(घ) पूछे गए ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

New Companies Registered in Gujarat State

8113. SHRI AMARSINH V. RATHAWA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of new companies registered in Gujarat during 1977 and 1978, the details thereof and the policy in regard to their development; and

(b) whether some of the old companies have been wound up and the number of companies working at present and steps being taken to ensure production by old companies and also to revive the closed companies and full details in this regard?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) and (b). One hundred and eight new companies were registered in the State of Gujarat during 1976-77 and 117 new companies in 1977-78. The break-up of these companies, by Government, and public limited and Government and non-Government, and public limited and private limited, is given as under:—

Year	No. of Govt. Cos.		No. of non-Govt. Cos		TOTAL Govt. & Non-Govt. together		
	Public	Private	Public	Private	Public	Private	Total
1976-77 . .	1	..	6	101	7	101	108
1977-78 .. .	1	2	7	107	8	109	117

Thirty companies during 1976-77 and twelve companies during 1977-78 were wound up by liquidation proceedings or struck off under Section 560 of the Companies Act The possibility of revival of these Companies appears remote The number of companies at work in the State of Gujarat as on 31st March, 1978 was 2410

There are provisions in the Companies Act which enable the Government to keep a watch on the working of the companies including their development along right lines The Central Government inspect the books of account of the companies under Section 209A directors where necessary special audit under Section 233A and orders investigation into the affairs of the companies and Section 237 as required The Central Government has also powers under Section 408 of the Companies Act to appoint Government director in companies in order to prevent oppression or mismanagement

The Central Government has also powers under the Industries (Development and Regulation) Act, 1961 to take over the management of industrial undertakings if it is satisfied that the undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the interests of the industry or to the public interest During the year 1977 the management of two industrial undertakings were taken over by the Central Government in Gujarat under this Act

गुजरात राज्य में कम्पनियां

8114. श्री ग्रमर सिंह बी० राठवा : क्या विधि न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गुजरात में कम्पनियों की कुल संख्या क्या है ग्रौर उनके भागीदारों/शेयर होल्डरों के नाम क्या हैं ग्रौर इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन कम्पनियों का न्यास बनाने का प्रस्ताव है जिससे गांधी विचार-धारा के ग्रनुरूप श्रमिकों को कम्पनियों में प्रतिनिधित्व दिया जा सके ग्रौर यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ग्रौर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; ग्रौर

(ग) इन कम्पनियों में श्रमिकों का श्रेणीवार कितना वेतन दिया गया ?

विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ती भूषण) (क) 31-3-78 तक गुजरात राज्य में शेयरों द्वारा लिमिटेड 2410 कम्पनियां कार्यरत थीं । कम्पनी के शेयरधारियों की सूची कम्पनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में दी गई है । यह सूची जनता के किसी भी व्यक्ति द्वारा नाममात्र फीस देकर निरीक्षण के लिए खुली है । चूंकि कम्पनी के शेयरधारियों की सूची बहुत ही लम्बी है इसलिए सभी 2410 कम्पनियों की इस प्रकार की सूची प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं है ।

(ख) सरकार ने कम्पनी ग्रधिनियम, 1956 ग्रौर एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा ग्रधिनियम 1969 की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है । इस समिति का सदर्भित शर्तों में से एक यह है कि कम्पनियों की शेयर पूंजी ग्रौर प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी पर विचार करना । इस संबंध में समिति के प्रस्तावों पर समिति द्वारा ग्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार द्वारा विचार किया जायगा ।

(ग) क्योंकि कम्पनी ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत कम्पनी कार्य विभाग को इस प्रकार की सूचना कम्पनियों द्वारा देना ग्रपेक्षित नहीं है इसलिए कम्पनी कार्य विभाग द्वारा यह सूचना प्रस्तुत नहीं की जा सकती है ।